

मर्केटाइल मरीन विभाग मुंबई

चेकलिस्ट संख्या 1- भारत में पंजीकृत नवनिर्मित जहाज के लिए नया सीएसआर (संख्या 1) जारी करना

	जहाज का नाम:	आईएमओ संख्या:	जीआरटी:
क्रमांक	आवश्यक दस्तावेज़	स्पष्टीकरण	प्रस्तुत हाँ/नहीं/एनए
1	कंपनी द्वारा लेटर हेड में पूर्ण चेकलिस्ट के साथ आवेदन		
2	भारतकोश पोर्टल के माध्यम से भुगतान किए गए 50,000/- रुपये के शुल्क की रसीद		
3	कंपनी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और संपर्क विवरण के साथ अनुलग्नक के अनुसार विधिवत भरा हुआ फॉर्म-1		
4	रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की प्रति	अनंतिम या स्थायी जैसा लागू हो	
5	एलआर फेयरप्ले द्वारा जारी पंजीकृत मालिक पहचान संख्या का साक्ष्य	यदि मालिक और प्रबंधक एक ही हों तो इसकी आवश्यकता नहीं है	
6	कंपनी पहचान संख्या का साक्ष्य	यदि DOC की प्रति क्रमांक 8 के अनुसार प्रस्तुत की गई है तो इसकी आवश्यकता नहीं है	
7	कक्षा प्रमाण पत्र की प्रति	दोहरी श्रेणी के जहाजों के मामले में दोनों श्रेणियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
8	अनुपालन दस्तावेज़ की प्रति	500 जीटी से कम वजन वाले जहाजों के लिए लागू नहीं	
9	अंतरिम सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र की प्रति	500 जीटी से कम वजन वाले जहाजों के लिए लागू नहीं	
10	अंतरिम जहाज सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति	अंतर्राष्ट्रीय या तटीय जैसा लागू हो	

टिप्पणी:	1) यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
	2) यदि फॉर्म-1 ठीक से नहीं भरा गया तो सीएसआर के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
	3) कंपनी एमएमडी द्वारा उठाए गए प्रश्नों, यदि कोई हो, का एक सप्ताह के भीतर जवाब देगी। यदि एक सप्ताह के भीतर कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
	4) आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में, कंपनी को लागू शुल्क के साथ पुनः आवेदन करना होगा।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि सीएसआर के लिए आवेदन ऊपर बताए गए सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया है।
मैं इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हूँ कि किसी भी अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

तारीख:

कंपनी के अधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर।